

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अति० जिला कलक्टर  
(द्वितीय) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/115/2023  
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2023/555

अपीलार्थी :-  
चन्दन बाबू पुत्र प्रभाती लाल  
गांव -झारेडा, पोस्ट खानपुर जाट,  
तहसील/जिला - अलवर  
पिन- 301030, मो0 8875715686

प्रत्यर्थी :-  
राज्य लोक सूचना अधिकारी निवासी  
एवं उपखण्ड अधिकारी अलवर

प्रवेश तिथि :: 15.09.2023

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 31.10.2023

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना आवेदन दिनांक: 06.06.2023 के माध्यम से प्रत्यर्थी के कार्यालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के संबंध में सूचना चाही गई थी।
4. वांछित सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा प्रा०पत्र दिनांक: 10.07.2023 के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित करते हुए पत्रांक: 1686 दिनांक: 11.10.2023 मय संलग्नक, जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी द्वारा अपील में आक्षेपित तथ्यों व प्रथम सूचना आवेदन में वांछित सूचना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब/सूचना पर गौर/मनन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
7. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
8. अतः अपील अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांक: 31.10.2023 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया। ।

अति० जिला-कलक्टर  
(द्वितीय) अलवर (राज.)

